17.9.20 पत्रावली पेश। उभयपक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 CPC सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार वर्ष 2019 में उक्त अनवान प्रकरण का एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 10/2009 धारा अन्तर्गत 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विचाराधीन था। जिसमें सुनवाई तारीख 18.12.2019 नियत थी। प्रकरण में तारीख पेशी पर प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को हाजिर अदालत आना था परंतु प्रार्थी अपने वकील पर विश्वास कर अपनी वृद्धावस्था से हाजिर अदालत नहीं आ सका व प्रार्थी के वकील भी किसी कार्यवाही से बाहर चले गये जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। मुझ प्रार्थी के वकील ने उसी समय प्रार्थी को जानकारी नहीं दी व कुछ दिन बाद मार्च 2020 को संपूर्ण देश में कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन कर दिया गया जिस वजह से प्रार्थी का पुत्र भी बम्बई से घर नहीं आ सका तथा प्रार्थी के वकील से संपर्क नहीं कर सका अब कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी शंकरलाल ने प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजी की मा० के सीमा चिन्ह नष्ट करने के उद्देश्य से मा० तोड़ना शुरू कर दिया जिसका प्रार्थी ने विरोध किया [illegible] अप्रार्थी

सहायक [illegible]
(उपखण्ड अधिकारी [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.10.05 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही अज इजिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये

झगड़ा करने लगा। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 10.7.2020 को प्रार्थना पत्र देने आया तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी की जानकारी चाही तो प्रार्थी को अनवान प्रकरण दिनांक 21.12.2019 को अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी मिली। प्रार्थी की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण विद्यमान है प्रकरण अदमपैरवी में हुई देरी के दिन प्रतिदिन का कारण भी स्पष्ट है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी परवान किये जाने का न्यायहित में कानूनी सलूक फरमावें। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 के साथ देरी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधि० पेश किया। अप्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी अत्यन्त बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा वह हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी वजह के तंग व परेशान करता है। वह अप्रार्थी को कब्जा काश्त से बेदखल करना चाहता है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने की कोई ठोस वजह पेश नहीं की गई है। प्रकरण में यदि प्रार्थी अनुपस्थित था तो उसके अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिये था। यह अधिवक्ता का नैतिक दायित्व है। [illegible] देरी का भी कोई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.10.05 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य वर्षों से मार कायम है प्रार्थी ने अवमानना संदर्भ। में पत्थरगढ़ी की गई शब्द उल्लेखित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवाई पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बलहीन, आधारहीन व विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है अधिवक्ता का यह नैतिक दायित्व है कि वो प्रकरण में प्रगति से अपने पक्षकार को अवगत करावे तथा पक्षकार भी अपने मुकदमें को लेकर सजग रहे। प्रार्थी के अनुसार पेशी पर उपस्थिति के लिए अधिवक्ता द्वारा आश्वस्त किया गया था इस वजह से वो निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होना केवल इस आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। दावे के अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना भी प्रार्थी को अनेक कारणों से समय पर नहीं मिली है मार्च 2020 में कोरोना महामारी के फैलाव के कारण भी प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हुई थी अतः प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 5 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर हुई देरी [illegible] किया जाता है।

सहायक कलेक्टर [illegible]
(उपखण्ड अधिकारी) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.10.05 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
	It is settled principal of law that for the lapse on the part of the Counsel the litigant should not be made to suffer." अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के स्तर से हुई किसी तकनीकी भूल के आधार पर न्याय से वंचित करना उचित नहीं है तथा प्रकरण के सम्पूर्ण एवं अंतिम निस्तारण के लिए उसका गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 में अप्रार्थी द्वारा जो अन्य एतराज उठाये हैं उनका निर्धारण मूल पत्रावली में गुणावगुण पर होना है अतः प्रार्थना पत्र ~~खारिज~~ अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली मांगीलाल बनाम शंकरलाल मु.न. 10/2007 को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। मूल पत्रावली दिनांक 29.9.2020 को पेश हो। उभयपक्षकार निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हों। ~~पत्रा~~ निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर तथा नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर, सांचोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.10.05 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner